रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247616
CG-DL-E-26072023-247616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3198]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 3198]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

का.आ. 3343(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट बैंक लि. की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (*कोर बैंकिंग सोल्यूशन*) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (*यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच*) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

(क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक लि. द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत पेटीएम पेमेंट बैंक लि. का कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लि. द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर, पेटीएम पेमेंट बैंक लि. द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

S.O. 3343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution and Unified Payments Interface Switch, being Critical Information Infrastructure of the Paytm Payments Bank Ltd., and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:—

(a) any designated employee of the Paytm Payments Bank Ltd. authorised in writing by the Paytm Payments Bank Ltd. to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Paytm Payments Bank Ltd. for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Paytm Payments Bank Ltd. on case to case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist G

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.26 20:53:03 +05'30'